

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 4(5)ग्रावि/नरेगा/08-09

जयपुर, दिनांक :

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान ।

14 JUL 2008

विषय:- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान के
अन्तर्गत एनीकट एवं चैकडैम की मरम्मत के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जारी मार्गदर्शिका एवं राज्य सरकार द्वारा जारी स्कीम में स्पष्ट प्रावधान है कि योजनान्तर्गत अथवा किसी अन्य स्कीम में सृजित ऐसी परिसम्पत्तियां जो कि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों के अन्तर्गत आती हों, के मरम्मत के कार्य योजनान्तर्गत कराए जा सकते हैं।

अतः इस संबंध में लेख है कि इस प्रकार की परिसम्पत्तियां, जिन पर मरम्मत की आवश्यकता हो एवं वित्तीय वर्ष हेतु अनुमत वार्षिक कार्य योजना में शामिल हों, इस योजनान्तर्गत सम्पन्न कराए जाएं ताकि इन परिसम्पत्तियों का पूर्णतः उपयोग किया जा सके। इस कार्य में एनीकट, चैकडैम एवं परम्परागत जल स्रोतों के मरम्मत के कार्य वार्षिक कार्य योजना की प्राथमिकता अनुरूप कराए जाएं ताकि बरसात के मौसम में इन परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखा जा सके एवं इनका पूर्ण उपयोग किया जा सके।

भवदीय,

(मंजू राजपाल)
निदेशक, ईजीएस